राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 109/2024 प्रा0पत्र

अनवान

लादू सिंह पिता खुमान सिंह जाति रावत निवासी आडावाला बली जस्साखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... वादी

बनाम

जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार , तहसील भीम जिला राजसमंद

.... प्रतिवादी

उपस्थिति :—

01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री चैन सिंह चौहान
02. प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः— 11/07/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वादी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की मौजा आडावाला, पटवार क्षेत्र बली, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र कुकड़ा, तहसील भीम में कृषि भूमि स्थित है जिसके खाता संख्या 25 आराजी नम्बर 2156 रकबा 0.4856 है0 एवं ग्राम बली, पटवार हल्का बली, भू. अभि. निरी. कुकड़ा, तहसील भीम के खाता संख्या 1032 आराजी नम्बर 7181/5570 रकबा 0.0668 चाही 1 है। उक्त भूमि में खाता संख्या 25 में लादू सिंह पिता खीम सिंह के स्थान पर लादू सिंह पिता खुमान सिंह एवं खाता संख्या 1032 में लखु सिंह पिता खुम सिंह के स्थान पर लादू सिंह पिता खुमान सिंह दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है। वादी द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी की प्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। वादी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार रिकॉर्ड में उपरोक्त नाम शुद्धि उचित है तथा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादी ने बहस में भी प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये। हमने वादी के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, प्रतिवादी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर खाता संख्या 25 एवं खाता संख्या 1032 में वादी का नाम लादू सिंह पिता खुमान सिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
भीम

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द